भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2768

18.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

10 जीडब्ल्यूएच क्षमता वाली परियोजना का प्रभाव

2768: श्री चिन्तामणि महाराज:

श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 10 जीडब्ल्यूएच क्षमता वाली परियोजना भारत के बैटरी विनिर्माण के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान करती है;

(ख) यह समझौता भारत के परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण संबंधी राष्ट्रीय मिशन के साथ किस प्रकार संयोजित है;

(ग) इस पहल का भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार का पीएलआई योजना के अंतर्गत एसीसी (उन्नत रसायन सेल) के उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए अन्य कंपनियों के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क), (घ) और (ङ): भारी उद्योग मंत्रालय "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम" नामक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम का प्रशासन करता है। इस स्कीम के तहत 50 गीगावाट घंटा क्षमता के लिए 5 वर्ष की अवधि हेतु कुल ₹18,100 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है जिसमें 2 वर्ष की तैयारी अवधि (गेस्टेशन पीरियड) शामिल है। चार पीएलआई लाभार्थियों को दो चरणों में कुल 40 गीगावाट घंटा क्षमता आवंटित की गई है। जुलाई-2024 में सचिवों के अधिकार-प्राप्त समूह (EGoS) की सिफारिशों के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ परामर्श से ग्रिड स्केल स्थैतिक भंडारण (GSSS) अनुप्रयोगों के लिए शेष 10 गीगावाट घंटा क्षमता

के नीलामी दस्तावेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू की। स्कीम का ब्योरा https://heavyindustries.gov.in/pli-scheme-national-programme-advanced-chemistry-cell-acc-battery-storage पर है। पीएलआई एसीसी स्कीम के उद्देश्य हैं:-

i. स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना
ii. लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना
iii. स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता को बढ़ावा देना
iv. निवेश और नवाचार को प्रोत्साहित करना
v. मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना, रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि
vi. स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना ताकि बैटरियों के आयात पर निर्भरता कम की जा सके और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त हो सके।

(ख): "राष्ट्रीय परिवर्तनकारी मोबिलिटी और बैटरी भंडारण मिशन" भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य अन्य के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और बैटरी भंडारण तकनीकों के अंगीकरण में तेजी लाने के लिए गीगा-स्केल बैटरी विनिर्माण इकाइयों के विनिर्माण को बढ़ावा देना है।

(ग): यह स्कीम बैटरी लागत में कमी लाकर, इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती बनाकर और उनके अंगीकरण में तेजी लाकर, नवीकरणीय समेकन हेतु ऊर्जा भंडारण समाधान में वृद्धि कर, ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा दक्षता में सुधार कर देश में एसीसी विनिर्माण पारितंत्र का सृजन कर रही है।

*****